(5)

COURT FEE INDIA भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES
10 रु. COURT FEE INDIA भारत दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

प्र. क्र. II/निगरानी/मुरैना/भू.रा/2017/4686

दिनांक 27-11-17 को श्री रामसेवक शर्मा अधि. द्वारा प्रस्तुत। 27-11-17 पे.दि. 5-12-17

26-12-26

किशन लाल पुत्र श्री छोटे लाल जाति कोरी निवासी ग्राम बढ़ेरा तहसील जौरा जिला मुरैना म. प्र. ---- आवेदक

बनाम

1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील जौरा जिला मुरैना
2. नायब तहसीलदार जौरा जिला मुरैना म.प्र.
3. पटवारी मौजा बढ़ेरा पटवारी हल्का न.48 हरीश दीक्षित तहसील जौरा जिला मुरैना म. प्र.
4. भोगी राम पुत्र छोटे लाल जाति कोरी निवासी ग्राम बढ़ेरा तह. जौरा जिला मुरैना म.प्र.

--- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 क, नये संशोधन अधि. 2011 विरुद्ध आदेश दिनाक 2.11.17 द्वारा पारित न्यायालय नायब तहसीलदार जौरा जिला मुरैना प्र. क्र. 2, /15-16 / अ 27 किशन लाल विरुद्ध भोगीराम के निर्णय से दुखी होकर ।

श्रीमान जी,

निवेदन निम्न प्रकार है:-

1. यह कि, सर्वे नम्बर 236, 237, 240, 241 कुल किता 4 कुल रकबा 0.94 के सम्बंध में आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 4 के मध्य उभयपक्षों की सहमति से दिनाक 7.10.16 को न्यायालय नायब तहसीलदार जौरा

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला – मुरैना

प्रकरण कमांक – [illegible] / निगरानी / मुरैना / भू.रा. / 2017 / 4686

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–12–17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता के बिंदु पर सुना गया । 2/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार, मुरैना के आदेश दिनांक 2–11–17 के विरूद्ध पेश की है । तहसीलदार ने आलोच्य आदेश द्वारा पटवारी रिर्पोट आदि के आधार पर अपने पूर्व के आदेश दिनांक 7–10–16 के पुनरावलोकन हेतु अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति चाही गई है, उनके द्वारा की जा रही कार्यवाही संहिता के प्रावधानों के अनुरूप ही है । आवेदक को चाहिए था कि वह इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने के स्थान पर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखते क्योंकि संहिता के प्रावधानों के अनुसार पुनरावलोकन की अनुमति दी जाये या नहीं इस संबंध में निर्णय प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार को सुने जाने के उपरांत ही लिये जाने का प्रावधान है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । प्रशा0 सदस्य	